न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 112/2017

लक्ष्मण राम पुत्र ईसरराम जाति नायक निवासी चक 2 पी एस डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घड़साना। —रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956
विरूद्ध आदेश आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त
उपनिवेशन घड़साना मु. अनूपगढ़ दिनांक 30.06.1982
श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाक अपीलार्थी
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 19.12.2017

अपीलांट द्वारा यह अपील आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन आयुक्त घड़साना मुकाम अनूपगढ के आदेश दिनांक 30.06.1982 के विरूद्ध दिनांक 17.04.2017 को पेश की है जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि चक 10 जी एम के मु.न. 202/52 के कि.न. 1 से 25 की 25 बीघा भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं करने से खारिज किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया है, विवादित भूमि पर बड़ा टीला होने के कारण फसल नहीं होती थी। प्रार्थी ने जमीन को सुधार किया तथा फसल काश्त करने लगा तो पटवारी हल्का ने दिनांक 10.04.2017 को रकबा खारिज होने का बताया , जिस पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार की जावे ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा यह अपील करीब 35 वर्ष देरी से पेश की है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावे ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी. न्यायालय आवंटन अधिकारी घड़साना के निर्णय दिनांक 30.06.1982 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं करने की वजह से उसका आवंटन निरस्त किया गया है जो अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं देने से अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अपील निर्णय दिनांक 30.06.1982 के विरूद्ध दिनांक 17.04.2017 को लगभग 35 वर्ष बाद पेश की, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें विलम्ब को माफ करवाने का सन्तोषजन कारण नहीं दर्शाया है । अतः 35 वर्ष के विलम्ब को माफ किया जाना उचित नहीं होने से तकनीकी आधार मियाद के बिन्दु पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय दिनांक 19.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर